

अध्याय सारांश

लेखापरीक्षा ने 46.54 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव के साथ 198 अभ्युक्तियां जारी की जिनमें वित्त मंत्रालय की विभिन्न अनियमितताएं, चूक तथा गलतियां शामिल थी। मंत्रालय ने 7 दिसम्बर 2007 तक 66 अभ्युक्तियां स्वीकार की थी जिनमें 12.80 करोड़ रु का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैराग्राफ 4.4 तथा 4.6)

निर्धारण अधिकारियों ने निम्नलिखित मामलों में त्रुटियां कीं:

- ◆ 7.58 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 18 मामलों में कारबार आय की गणना।
(पैराग्राफ 4.7.2)
- ◆ 5.65 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त छः मामलों में आवास परियोजनाओं का विकास तथा निर्माण करने वाले एक उपक्रम को कटौती की अनुमति प्रदान करना।
(पैराग्राफ 4.8.2)
- ◆ 5.24 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 22 मामलों में निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति प्रदान करना।
(पैराग्राफ 4.9.2)
- ◆ 3.62 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त आठ मामलों में कर की सही दर लागू करना।
(पैराग्राफ 4.10.1)
- ◆ 2.98 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 29 मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण।
(पैराग्राफ 4.11.1)
- ◆ 2.42 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त दो मामलों में पूंजीगत अभिलाभ की गणना।
(पैराग्राफ 4.12.1)
- ◆ 2.08 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 10 मामलों में देयता की अनुमति तथा सहकारी समितियों को कटौती की अनुमति प्रदान करना।
(पैराग्राफ 4.13.2 तथा 4.14.1)
- ◆ 1.98 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 12 मामलों में प्रतिदाय की अनुमति प्रदान करना, सही आंकड़े अपनाना तथा हानियों का अग्रेषण तथा समंजन।
(पैराग्राफ 4.15.1, 4.16.1 तथा 4.17.2)
- ◆ 80.48 लाख रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 18 मामलों में मूल्यहास की गणना, अधिभार का उद्ग्रहण तथा आय निर्धारित न करना।
(पैराग्राफ 4.18.1, 4.19.1 तथा 4.20.1)

- ◆ 9.26 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 43 मामलों में संक्षिप्त विधि से संसाधित निर्धारणों में आय का कम निर्धारण।

(पैराग्राफ 4.21.1)

- ◆ 1.97 करोड़ रु के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 11 मामलों में कर अधिक प्रभारित करना।

(पैराग्राफ 4.22)

अध्याय IV: आयकर

निर्धारितियों की संख्या **4.1** 31 मार्च 2006 तथा 2007 को आयकर विभाग की पुस्तकों में उत्पन्न निर्धारितियों (कम्पनियों के अतिरिक्त) की संख्या क्रमशः 2.94 करोड़ तथा 3.09 करोड़ थी जैसा कि इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** की **तालिका संख्या 2.7** में दिया गया है।

आयकर से प्राप्तियां **4.2** 2006-07 के दौरान, आयकर प्राप्तियां 2005-06 में 55,985 करोड़ रु की तुलना में 75,079 करोड़ रु थी जो कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 32.62 प्रतिशत बनती थी। इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** की **तालिका सं. 2.4** ये विवरण दर्शाती है।

निर्धारणों की स्थिति **4.3** इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** के **पैराग्राफ 2.9** की **तालिका सं. 2.11** में निपटान हेतु देय निर्धारणों, पूरे किए गए निर्धारणों तथा लम्बित निर्धारणों के विवरण निहित हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान संग्रहीत न की गई मांगों के विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** की **तालिका सं. 2.13** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा के परिणाम **4.4** लेखापरीक्षा ने मई 2007 तथा अक्टूबर 2007 के बीच वित्त मंत्रालय को 44.57 करोड़ रु का कर कम प्रभारित करने के 187 ड्राफ्ट पैराग्राफ तथा 1.97 करोड़ रु के कर के अधिप्रभार से अन्तर्ग्रस्त 11 ड्राफ्ट पैराग्राफ, टिप्पणियों के लिए जारी किए। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने इनमें से केवल 11 मामले देखे थे तथा इस प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियां नहीं देखी थी।

4.5 मंत्रालय को जारी किए गए 198 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से, 41.67 करोड़ रु के कम प्रभार से अन्तर्ग्रस्त 169 मामले तथा 1.97 करोड़ रु के अति-प्रभार से अन्तर्ग्रस्त 11 मामले इस अध्याय में शामिल किए गए हैं। प्रत्येक पैराग्राफ त्रुटि की एक विशेष श्रेणी को दर्शाता है तथा एक समुचित प्रस्तावना से शुरु होता है तथा उसके पश्चात समान प्रकृति की सभी अभ्युक्तियों के संयुक्त/समेकित राजस्व प्रभाव को दर्शाता है। 75 लाख रु अथवा अधिक के धन प्रभाव के मामले अध्याय की बॉडी में दर्शाए गए हैं जबकि 20 लाख रु अथवा अधिक परन्तु 75 लाख रु प्रत्येक से कम के मामले संबंधित श्रेणी के अन्तर्गत तालिका में दिए गए हैं।

वित्त मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों की स्थिति **4.6** इस अध्याय में शामिल किए गए 180 मामलों में से, वित्त मंत्रालय ने 66 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों स्वीकार की जिनमें 12.80 करोड़ रु का सकल राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। दो मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (7 दिसम्बर 2007 तक)। जहां कहीं मंत्रालय के उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच की गई है तथा उन्हें समुचित स्म से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

4.7 कारबार आय की गणना में त्रुटियां

कारबार आय की गणना में त्रुटियां **4.7.1** आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि एक संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी, निर्धारितियों की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करेगा तथा इस निर्धारण के आधार पर

उसके द्वारा देय अथवा उसे वापिस की जाने वाली सही राशि का निर्धारण करेगा। "कारबार अथवा वृत्ति के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत आय, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से लागू की गई लेखाकरण की विधि के अनुसार परिकलित की जाती है।

4.7.2 कारबार आय की गणना करते समय **18 मामलों** में उपर्युक्त प्रावधानों का अननुपालन देखा गया था जिसके परिणामस्वरूप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में **7.58 करोड़ रु** के योग के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। उदाहरण के तौर पर **तीन मामले** नीचे दिए गए हैं।

4.7.3 "लाभांश स्ट्रिपिंग लेन-देन" जिसमें शेयर/यूनिट खरीदे जाते हैं "एवं-लाभांश" तथा लाभांश प्राप्त करने के पश्चात घाटे पर बेचे जाते हैं, कर अपवंचन विधि के रूप में रखे गए हैं, जो कि कारबार अथवा ट्रेडिंग लेन देन से भिन्न है। यह एक न्यायिक निर्णय¹ है कि बकाया लाभांश के साथ शेयरों की खरीद एक पूंजीगत खरीद थी तथा प्रतिभूतियों की प्राप्ति की लागत लाभांश की राशि तक घटाई जानी अपेक्षित थी। यह भी एक न्यायिक निर्णय² है कि इस "लाभांश स्ट्रिपिंग लेनदेन" से उद्भूत हानि कारबार आय के प्रति समायोजन हेतु अर्हक नहीं थी। निर्धारण वर्ष 2002-03 से धारा 94(7) जोड़ कर आयकर अधिनियम का बाद में संशोधन किया गया था जिसमें यह उल्लिखित है कि प्रतिभूतियों/यूनिटों की खरीद तथा बिक्री से होने वाली हानि को लाभांश/आय की सीमा तक नज़रअन्दाज किया जाएगा।

4.7.4 महाराष्ट्र, सी आई टी केन्द्रीय II, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक व्यक्ति, **श्री विनोद एच. बियानी** का निर्धारण 33.56 लाख रु की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2002 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2000-01 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने 21.00 करोड़ रु के म्यूचुअल फण्ड से यूनिट खरीदे थे तथा खरीद की तारीख को ही 4.88 करोड़ रु का लाभांश प्राप्त किया था। खरीद के दो-तीन दिन के पश्चात ही ये यूनिट 15.49 करोड़ रु की राशि के लिए निष्क्रीत करा लिए गए थे। प्राप्त किए गए 4.88 करोड़ रु के लाभांश का धारा 10(33) के अन्तर्गत छूट का दावा किया गया था तथा निर्धारिती द्वारा उठाई गई 5.51 करोड़ रु की सामग्री हानि, लघु-अवधि पूंजीगत अभिलाभ के प्रति समायोजित की गई थी।

म्यूचुअल फण्ड के यूनिट "कम डिविडेंड एनएवी (निवल परिसम्पत्ति मूल्य) प्राईस" पर खरीदे गए थे तथा "एक्स-डिविडेंड एनएवी प्राईस" पर निष्क्रीत किए गए थे। निवेश, बिक्री में अनुमानित हानि को देखते हुए लाभांश प्राप्त करने के इरादे से किया गया था, जिसे अधिनियम की धारा 10(33) के अन्तर्गत छूट प्राप्त थी। अतः खरीद तथा बिक्री लाभांश स्ट्रिपिंग लेन-देन का भाग थे। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र, 5.51 करोड़ रु की हानि की अनुमति सही नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 5.51 करोड़ रु की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें 2.43 करोड़ रु (ब्याज सहित) के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

¹ { 75 आईटीआर 191 } सीआईटी विरुद्ध इण्डिया डिस्कांक्ट कम्पनी (एससी) 1969

² {75 आईटीआर 544} ल्यूपटन (कर निरीक्षक) वि.एफ. ए. एवं ए. बी. लि. (अपील के न्यायालय में) (1969)

4.7.5 महाराष्ट्र, डीआईटी (छूट), मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए एक एओपी, **मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण** का आयकर निर्धारण, 5.21 करोड़ रु की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2006 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा दावित छूट अननुमत कर दी तथा आय को स्थानीय प्राधिकरण मानते हुए उस पर कर लगा दिया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा महाराष्ट्र सरकार के पास पड़े लघु-अवधि जमाओं पर शास्ति ब्याज के स्म में प्राप्य 2.46 करोड़ रु को ध्यान में नहीं रखा था। इसके अतिरिक्त निर्धारिती ने बम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति कम्पनी से प्राप्य 2.82 करोड़ रु के पट्टा प्रीमियम को भी लेखाबद्ध नहीं किया था। चूंकि निर्धारिती लेखाकरण की व्यापारिक पद्यति का अनुसरण कर रहा था, अतः इन क्रियाकलापों से संबंधित आय को वापिस जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा न करने के परिणामस्वस्म 5.28 करोड़ रु की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे 2.29 करोड़ रु (ब्याज सहित) के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.7.6 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69सी में यह प्रावधान है कि जहां, किसी वित्तीय वर्ष में, एक निर्धारिती ने कोई व्यय किया है और वह उस आय अथवा उसके भाग के स्त्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता अथवा उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, सन्तोषजनक नहीं है तो वह व्यय अथवा उसका भाग, उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों में निहित किसी चीज़ के बावजूद, वह व्यय जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और जिसे निर्धारिती की आय मान लिया गया है, आय के किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत कटौती के स्म में नहीं माना जाएगा।

4.7.7 महाराष्ट्र, सीआईटी I, पुणे प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक फर्म **मै. नव महाराष्ट्र पोर्ट लैण्ड सीमेंट इण्डस्ट्रीज़** का निर्धारण 26.50 लाख रु की हानि निर्धारित करते हुए जुलाई 2003 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2001-02 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने पशु चारे की खरीद के लिए मै. एन. एम. कार्पोरेशन लि., संगोली को 2.50 करोड़ रु का भुगतान किया था। यह राशि न तो क्रय/विक्रय राशि में दर्शाई गई थी, और न ही अन्त स्टॉक में। अतः 2.50 करोड़ रु अस्पष्टीकृत व्यय के स्म में माने जाने चाहिए थे तथा अधिनियम की धारा 69 सी के अन्तर्गत अननुमत करके निर्धारिती की कुल आय में जोड़े जाने चाहिए थे। इस चूक के परिणामस्वस्म 2.50 करोड़ रु की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें 1.19 करोड़ रु के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

4.7.8 तीन मामले नीचे तालिका 4.1 में दर्शाए गए हैं:

तालिका सं. 4.1: कारबार आय की गणना में त्रुटियां

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वस्म	राजस्व प्रभाव
1	मै बी. जी. चिताले सीआईटी I, कोल्हापुर	2003-04 2004-05 2005-06	संवीक्षा दिसम्बर 2005 फरवरी 2006 मार्च 2006	निर्धारिती ने इन निर्धारण वर्षों में सावधि जमाओं तथा आयकर प्रतिदाय से 4.73 करोड़ रु की सकल ब्याज आय अर्जित की तथा ग्राह्य पारिश्रमिक की गणना से पूर्व उसे घटाने के बजाए (अन्य स्रोतों से आय के रूप में) उसके भागीदारों को ग्राह्य पारिश्रमिक की गणना के लिए कारबार में शामिल कर लिया। इसके परिणामस्वस्म 1.26 करोड़ रु के पारिश्रमिक का सकल अधिक भुगतान किया जिसमें 53.47 लाख रु का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।	53.47
2	मै. शिवम ओवरसीज़ सीआईटी केन्द्रीय, लुधियाना	2004-05	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारण अधिकारी अप्रकटित स्रोतों से अस्पष्टीकृत निवेश के प्रति 64.45 लाख रु आय में वापिस जोड़ने में विफल रहा था जिसके परिणामस्वस्म आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें 28.90 लाख रु का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।	28.90
3	श्री मुकेश आर. शाह सीआईटी केन्द्रीय I, अहमदाबाद	2001-02	संवीक्षा मार्च 2004	लाभ तथा हानि लेखा को क्रेडिट न किए गए तथा कर योग्य आय की गणना करते समय ध्यान में न रखे गए 47.10 लाख रु के अन्त स्टॉक के परिणामस्वस्म 23.76 लाख रु के कर का अनुदग्रहण हुआ।	23.76

4.7.9 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका सं. 4.1 के क्र.सं. 2 के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 2007)।

आवास परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण में कार्यरत उपक्रमों को कटौती की गलत अनुमति

4.8 आवास परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण में कार्यरत उपक्रमों को कटौती की गलत अनुमति

4.8.1 आयकर अधिनियम की धारा 80आईबी(10) में यह प्रावधान है कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व अनुमोदित आवास परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण का कार्य करने वाले एक उपक्रम के मामले में किसी पिछले वर्ष में व्युत्पन्न लाभ के सौ प्रतिशत की सीमा तक कटौती अनुमत है। ये प्रावधान एक खण्ड को शामिल करते हुए 1 अप्रैल 2005 से संशोधित किए गए थे जिसमें यह निर्धारित था कि ऐसे उपक्रम को छूट उपलब्ध होगी यदि आवास परियोजनाओं में शामिल की गई दुकानें तथा वाणिज्यिक स्थापनाएं सकल निर्मित क्षेत्र के पांच प्रतिशत अथवा दो हजार वर्ग गज़, जो भी कम हो, से अधिक न हों। आईटीएटी, मुम्बई

बैंच ने निर्णय³ दिया कि दुकान अथवा वाणिज्यिक स्थान का निर्माण, अधिनियम की धारा 80आईबी(10) के प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से आवास परियोजना नहीं माना जा सकता और यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो समस्त कटौती का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। ट्रिब्यूनल ने भी यही निर्णय दिया कि धारा 80आईबी में उपर्युक्त संशोधन का 1 अप्रैल 2005 से भावी प्रभाव होगा तथा इस प्रकार 1 अप्रैल 2005 से पूर्व अनुमोदित वाणिज्यिक स्थान सहित आवास परियोजनाओं के संबंध में कटौती से इनकार किया।

4.8.2 लेखापरीक्षा ने आवास परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण कार्य में कार्यरत उपक्रमों को कटौतियां अनुमत करने में त्रुटियां देखी जिसके परिणामस्वरूप बिहार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में **छः मामलों** में कुल **5.65 करोड़ रु** का कम उद्ग्रहण हुआ। उदाहरणार्थ **चार मामले** नीचे दिए गए हैं :

4.8.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 25, मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए एक फर्म, **मै. एच. डी. एन्टरप्राइसेस** का निर्धारण 2.00 करोड़ रु की आय का निर्धारण करते हुए संवीक्षा के पश्चात जनवरी 2006 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती को अधिनियम की धारा 80आईबी(10) के अन्तर्गत 5.38 करोड़ रु की कटौती अनुमत की गई थी। चूंकि निर्धारिती ने दुकानों सहित एक रिहायशी आवास एवं वाणिज्यिक परियोजना का विकास किया था, अतः निर्धारण अधिकारी ने कटौती, रिहायशी निर्मित क्षेत्र के निर्माण से होने वाले लाभ की आनुपातिक राशि तक ही सीमित की थी। तथापि, अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं तथा आईटीएटी के निर्णय, कि धारा 80आईबी में संशोधन का 1 अप्रैल 2005 से भावी प्रभाव होगा, के मद्देनज़र समस्त कटौती अनुमत की जानी चाहिए थी। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप 5.38 करोड़ रु के कर का कम निर्धारण हुआ जिससे 2.36 करोड़ रु (ब्याज सहित) का राजस्व प्रभाव हुआ।

4.8.4 महाराष्ट्र, सीआईटी 4, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक फर्म, **मै. गिरिलाल एण्ड कं.** का निर्धारण, आवास परियोजना के विकास तथा निर्माण पर लाभ के संबंध में धारा 80 आई बी के अन्तर्गत 2.75 करोड़ रु की कटौती अनुमत करने के पश्चात 12.36 लाख रु की आय निर्धारित करते हुए मई 2003 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। आवास परियोजना के विकास तथा निर्माण में लगे एक उपक्रम के लिए धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए एक शर्त यह भी है कि भूमि के प्लॉट का आकार न्यूनतम एक एकड़ (43,560 वर्ग फुट) होना चाहिए। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने परियोजना के विकास तथा निर्माण के लिए 5,919 वर्ग फुट माप की भूमि का उपयोग किया था। इसलिए कटौती के लिए दावे की शर्त पूरी नहीं होती थी। धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती के परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ रु की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें 1.43 करोड़ रु (ब्याज सहित) का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

4.8.5 महाराष्ट्र, सीआईटी 19 प्रभार में, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 निर्धारण वर्षों के लिए एक फर्म, **मै विनाम्रा डिवेलपर्स** का निर्धारण क्रमशः 1.00 लाख रु, 4.28 लाख रु तथा 1.85

³ मै. कोकिक डिवेलपर्स वि. डीसीआईटी सर्कल 3, थाणे (आईटीएटी 1961, सं. 532/एम/06)

लाख रु की आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2006 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। निर्धारिती को इन निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 80 आईबी (10) के अन्तर्गत 28.01 लाख रु, 1.20 करोड़ रु तथा 51.78 लाख रु की कटौती अनुमत की गई थी। चूंकि निर्धारिती ने दुकानों सहित एक रिहायशी आवास एवं वाणिज्यिक परियोजना का विकास किया था, अतः निर्धारण अधिकारी ने कटौती, रिहायशी निर्मित क्षेत्र के निर्माण से होने वाले लाभ की आनुपातिक राशि तक ही सीमित की थी। तथापि, अधिनियम तथा आईटीएटी के निर्णय के उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनज़र, समस्त कटौती अननुमत की जानी चाहिए थी। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप 2.00 करोड़ रु के योग की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे 97.26 लाख रु (ब्याज सहित) का परिणामी राजस्व प्रभाव हुआ।

4.8.6 मंत्रालय ने उपर्युक्त अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 2007)।

अन्य मामले

4.8.7 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबी में यह प्रावधान है कि जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में कुछ औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त कोई लाभ तथा अभिलाभ शामिल हैं, वहां निर्धारिती को प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ दस लगातार निर्धारण वर्षों (अथवा बारह लगातार निर्धारण वर्षों जहां निर्धारिती एक सहकारी समिति है) की अवधि के लिए पच्चीस प्रतिशत (अथवा तीस प्रतिशत, यदि निर्धारिती एक कम्पनी है) की कटौती अनुमत होगी।

उत्तर प्रदेश, सीआईटी, इलाहाबाद प्रभार में एक फर्म, **मै. एबीसी इण्डस्ट्रीज़, टिकारा मिर्ज़ापुर** का निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारण, धारा 80आईबी के अन्तर्गत 3.32 करोड़ रु की कटौती अनुमत करने के पश्चात "शून्य" आय निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2005 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 3.32 करोड़ रु की आय में ड्यूटी ड्राबैक से संबंधित 1.57 करोड़ रु शामिल थे। चूंकि ड्यूटी ड्राबैक से आय, अनुमत कारबार में कार्यरत औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त नहीं की गई थी, अतः उस पर कटौती अनुमत नहीं थी। इसे अनुमति न देने की चूक के परिणामस्वरूप 1.57 करोड़ रु की आय की कम गणना हुई जिसमें 77.39 लाख रु (ब्याज सहित) का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

निर्यात लाभ
के संबंध में
कटौती की
गलत
अनुमति

4.9 निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की गलत अनुमति

4.9.1 निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति की विधि का इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** के **पैराग्राफ 3.19.1** में वर्णन किया गया है।

4.9.2 लेखापरीक्षा ने निर्यात लाभ की गणना में त्रुटियां देखी जिनके परिणामस्वरूप दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में **22 मामलों** में **5.24 करोड़ रु** के योग का कम उद्ग्रहण हुआ। उदाहरणार्थ **एक मामला** नीचे दिया गया है:

4.9.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 27, मुम्बई प्रभार में एक फर्म **मै. अलोका एक्सपोर्ट्स** का निर्धारण वर्ष 2001-02 का निर्धारण, निर्धारिती द्वारा दावित धारा 80 एचएचसी के अन्तर्गत 8.93 करोड़ रु की कटौती अनुमत करने के पश्चात 4.02 करोड़ रु की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2004 में संवीक्षा के पश्चात पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 90 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहनों में 4.19 करोड़ रु के डीईपीबी लाइसेंस शामिल थे। चूंकि निर्धारिती का निर्यात टर्न ओवर 10 करोड़ रु से अधिक था, अतः कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा धारा 80एचएचसी(3) में शामिल किए गए उपबन्ध के अनुसार डीईपीबी की कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानक पूरे किए जाने अपेक्षित थे। निर्धारिती निर्धारित शर्तों को पूरा करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा और इस प्रकार वह डीईपीबी क्रेडिट के संबंध में कटौती का हकदार नहीं था। इसे शामिल न करने की चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 80एचएचसी के अन्तर्गत 3.01 करोड़ रु की कटौती की अधिक अनुमति प्रदान की गई जिसमें ब्याज सहित 1.69 करोड़ रु के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

4.9.4 मंत्रालय ने उपर्युक्त अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

4.9.5 पांच मामले नीचे तालिका सं. 4.2 में दिए गए हैं:

(लाख रु में)

तालिका सं. 4.2 : निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की गलत अनुमति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वस्म	राजस्व प्रभाव
1	मै. एटलस एक्सपोर्ट्स सीआईटी 12, मुम्बई	2001-02	संवीक्षा मार्च 2003	कटौती अनुमत करने के लिए विचारित 7.44 करोड़ रु. के निर्यात प्रोत्साहनों में 1.94 करोड़ रु के डीईपीबी प्रीमियम शामिल थे, यद्यपि निर्धारिती कटौती का हकदार नहीं था क्योंकि वह अधिनियम की धारा 80 एचएचसी(3) के तीसरे उपबन्ध में दी गई शर्तों को पूरा करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 1.40 करोड़ रु की कटौती की अधिक अनुमति प्रदान की गई।	71.44
2	श्री सतीश कुमार अग्रवाल सीआईटी केन्द्रीय II, दिल्ली	2002-03	संवीक्षा मार्च 2004	कटौती की गणना करते समय, ट्रेडिंग माल के निर्यात पर की गई 68.37 लाख रु की हानि को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रु की कटौती अधिक अनुमत की गई।	53.74
3	श्री के. रवीन्द्रनाथन नायर सीआईटी तिरुवनन्तपुरम	2000-01	संवीक्षा जनवरी 2005	3.21 करोड़ रु तथा 64.62 लाख रु के अस्वीकारण प्रमाणपत्र से संबंधित अधिक निर्यात टर्नओवर तथा कटौती का दावा धारा 80 एचएचसी के अन्तर्गत कटौती की अनुमति के लिए विचारित किए गए थे	38.62

तालिका सं. 4.2 : निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की गलत अनुमति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वस्म	राजस्व प्रभाव
				जिसके परिणामस्वरूप 38.62 लाख रु की कटौती अधिक अनुमत की गई।	
4	श्रीमती सीमा अजय रंका सीआईटी, बड़ौदा	2001-02 2002-03 2003-04	संवीक्षा जनवरी 2004 अक्टूबर 2004 मार्च 2004	धारा 80 एचएचसी के अन्तर्गत कटौती की गणना करते समय, धारा 80 आईए के अन्तर्गत अनुमत 1.33 करोड़ रुपये की कटौती सकल कुल आय से नहीं घटाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप 58.47 लाख रुपये की कटौती अधिक अनुमत की गई।	29.09
5	मै. शाह नरेश कुमार एण्ड कम्पनी सीआईटी 14, मुम्बई	2003-04	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारिती को धारा 80 एचएचसी के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की अनुमत दर के प्रति 100 प्रतिशत की दर पर कटौती अनुमत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 44.08 लाख रुपये की कटौती अधिक अनुमत की गई थी।	22.24

4.9.6 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका सं. 4.2 के क्रम सं. 1 तथा 5 पर दर्शाए गए मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

कर की गलत दर लागू करना

4.10 आयकर धारा, 1961 में यह प्रावधान है कि संगत वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है।

4.10.1 लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु में आठ मामलों में उपर्युक्त प्रावधान ठीक ढंग से लागू नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप 3.62 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। उदाहरणार्थ तीन मामले नीचे दिए गए हैं:

4.10.2 तमिलनाडु, सीआईटी II, चेन्नई प्रभार में एक एओपी* मै. तमिलनाडु अरबन डिवेलपमेंट फंड के 2000-01, तथा 2002-03 से 2005-06 तक के निर्धारण वर्षों के निर्धारण क्रमशः 21.41 करोड़ रुपये, 33.36 करोड़ रुपये, 25.01 करोड़ रुपये, 19.02 करोड़ रुपये तथा 7.60 करोड़ रुपये की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2003 तथा मार्च 2006 के बीच संवीक्षा के अन्तर्गत पूरे किए गए थे। निर्धारिती ने इन निर्धारण वर्षों के लिए यह बताते हुए, कि यह एक न्यास था जिसको जनहित की सेवा के लिए बनाया गया था, धारा 11 के अन्तर्गत अपनी समस्त आय की छूट का दावा करने के पश्चात् "शून्य" आय स्वीकार करते हुए अपनी आय कर विवरणियां दाखिल की। संवीक्षा निर्धारण पूरे करते समय, निर्धारण अधिकारी ने यह दावा अस्वीकृत कर दिया और इस आधार पर, कि

* एओपी: व्यक्ति सभा

निर्धारिती के कार्य वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर किए जा रहे थे, उसे एओपी मानते हुए उसकी आय निर्धारित कर दी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि लाभ उसके सदस्यों द्वारा वर्ष दर वर्ष भिन्न प्रतिशतता में बांटे जा रहे थे तथा कर एओपी/बीओआई^० को लागू दरों पर उद्ग्रहीत किया गया था। तथापि, जहां एओपी के किसी सदस्य से अधिकतम सीमान्त कर से अधिक दर पर कर प्रभारित किया जाना अपेक्षित था, वहां कर एओपी की कुल आय के उस भाग पर ही उच्च दर पर प्रभारित किया जाना अपेक्षित था जो सदस्य को दी जानी थी। ऐसा न करने के कारण 1.39 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.10.3 महाराष्ट्र, सीआईटी 14, मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए एक फर्म **मै. कृष्णकुमार एण्ड कं.** का निर्धारण मार्च 2002 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था, तथा अपील के आदेश को प्रभावित करने के लिए जनवरी 2005 में उसका फिर संशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण का संशोधन करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 30 प्रतिशत की सही दर के प्रति 20 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहीत किया था जिसके परिणामस्वरूप 96.40 लाख रुपये (ब्याज सहित) के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.10.4 मंत्रालय ने उपर्युक्त अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

4.10.5 पंजाब सीआईटी I, लुधियाना प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए एक फर्म **मै. ईस्टमैन इन्टरनेशनल** का निर्धारण 17.43 करोड़ रुपये की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2006 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित आय पर कर, लागू अधिभार सहित 35 प्रतिशत की सही दर के प्रति 30 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 91.51 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.10.6 मंत्रालय ने उपर्युक्त अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

ब्याज का
अनुद्ग्रहण
/कम
उद्ग्रहण

4.11 आय की विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के लिए ब्याज के उद्ग्रहण, अग्रिम कर के भुगतान तथा मांग के भुगतान में चूक से संबंधित प्रावधानों का वर्णन इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** के **पैराग्राफ 3.12** में किया गया है।

4.11.1 लेखापरीक्षा ने बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में **29 मामलों** में आय की विवरणियां दाखिल करने, अग्रिम कर के भुगतान तथा मांग के भुगतान में चूक में विलम्ब के लिए **2.98 करोड़ रुपये** के ब्याज का कम उद्ग्रहण देखा।

^० बीओआई:व्यष्टि निकाय

4.11.2 तीन मामले नीचे तालिका सं. 4.3 में दर्शाए गए हैं।

(लाख रुपये में)

तालिका सं. 4.3: ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुदग्रहण					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	मै. नरेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, सीआईटी III, बड़ौदा	1996-97	संवीक्षा मार्च 2004	विवरणी दाखिल न करने के लिए 46.03 लाख रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण।	46.03
2	मै. स्वामीनारायण सहकारी बैंक लि. सीआईटी III, बड़ौदा	1999-2000	संवीक्षा मार्च 2003	निर्धारिती ने सावधि जमा प्राप्ति पर विभिन्न व्यक्तियों को 6.83 करोड़ रुपये का ब्याज दिया, परन्तु स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 45.42 लाख रुपये के ब्याज का अनुदग्रहण हुआ।	45.42
3	मै. न्यू गुजरात टिन प्रिन्टिंग वर्क्स सीआईटी III, बड़ौदा	2001-02	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारिती को विवरणी विलम्ब से दायर करने के लिए 21.27 लाख रुपये का ब्याज देना था।	21.27

पूँजीगत
अभिलाभ की
गलत गणना

4.12 आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि पिछले वर्ष किए गए पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत कोई लाभ अथवा अभिलाभ "पूँजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कर को प्रभार्य है तथा वह पिछले वर्ष, जिसमें अन्तरण किया गया, की आय माना जाएगा। इन पूँजीगत अभिलाभों पर कर निर्धारित दर पर प्रभार्य है।

4.12.1 लेखापरीक्षा ने पूँजीगत अभिलाभ की संगणना में त्रुटियां देखी जिनके परिणामस्वरूप कर्नाटक तथा केरल में दो मामलों में 2.42 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। उदाहरणार्थ एक मामला नीचे दिया गया है:

4.12.2 केरल, त्रिवेन्द्रम प्रभार में, एक व्यक्ति डा. पी एन भास्करन का निर्धारण वर्ष 1999-2000 का निर्धारण 1.50 करोड़ रुपये की आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2003 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। कुल आय की गणना करते समय कुल 3.75 करोड़ रुपये के लिए भूमि की बिक्री से उद्भूत 3.73 करोड़ रुपये का पूँजीगत अभिलाभ धारा 54 ईए के अन्तर्गत छूट के रूप में अनुमत किया गया था क्योंकि बिक्री की समस्त राशि यूटीआई 64 योजना में निवेश कर दी गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती के पास 36 महीने से कम की अवधि के लिए उक्त परिसम्पत्ति का कब्जा था। इसलिए उसकी बिक्री पर पूँजीगत अभिलाभ लघु-अवधि पूँजीगत अभिलाभ के रूप में प्रभार्य था तथा निर्धारिती धारा 54 ईए के अन्तर्गत छूट का हकदार नहीं था। छूट की

अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप 3.73 करोड़ रुपये की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे 2.27 करोड़ रुपये का परिणामी राजस्व प्रभाव हुआ।

4.13 सहकारी समितियों को अनुमत अनियमित कटौती

4.13.1 आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि जहां सहकारी समिति की सकल कुल आय में बैंकिंग का कारबार करने अथवा उसके सदस्यों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने से होने वाली कोई आय शामिल है, वहां सहकारी समिति के ऐसे किसी एक अथवा अधिक क्रियाकलापों से होने वाले लाभ अथवा अभिलाभ की समग्र राशि पर कटौती अनुमत की जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि कटौतियां, अध्याय VI ए के अन्तर्गत कोई कटौती अनुमत करने से पूर्व पिछले वर्षों की अनवशोषित हानियों, मूल्यहास आदि के समंजन के पश्चात् सकल कुल आय से की जाएंगी।

4.13.2 लेखापरीक्षा ने पांच मामलों में धारा 80पी के अन्तर्गत कटौती की गणना में त्रुटियां देखी जिसके परिणामस्वरूप गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में कुल **1.18 करोड़ रुपये** के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। **तीन मामले** नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाए गए हैं:

(लाख रुपये में)

तालिका सं. 4.4 : सहकारी समितियों को कटौती की गलत अनुमति					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	दा चुरु केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीआईटी III, जयपुर	2003-04	संवीक्षा दिसम्बर 2005	निर्धारिती ने पिछले वर्षों से हानियां अग्रानीत की थी और इसलिए 1.06 करोड़ रुपये की कटौती अनुमत नहीं थी।	33.33 (पी)
2	मै. वरधा ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीआईटी II, नागपुर	2002-03	संवीक्षा दिसम्बर 2004	निर्धारिती ने 64.54 लाख रुपये कमीशन तथा 0.50 लाख रुपये अन्य स्रोतों से आय के प्रति प्राप्त किए थे जो कटौती के रूप में अनुमत किए गए थे, यद्यपि वे अनुमत नहीं थे।	30.91
3	मै. बर्धमान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. सीआईटी, बर्धमान	2003-04 2004-05	संवीक्षा दिसम्बर 2005 फरवरी 2006	निर्धारिती एक केन्द्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ था जो प्राथमिक सहकारी समिति नहीं थी। इस प्रकार यह कटौती के लिए ग्राह्य नहीं था। तथापि 57.71 लाख रुपये की कुल कटौती गलत ढंग से अनुमत की गई थी।	27.09

पी: संभावित कर को दर्शाता है।

4.13.3 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका सं. 4.4 के क्रम संख्या 1 तथा 2 पर दर्शाए गए मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

देयताओं
की गलत
अनुमति

4.14 किसी भविष्य निधि, वार्धक्यता निधि अथवा उपदान निधि आदि को अंशदान के माध्यम से नियोक्ता के रूप में एक निर्धारिती द्वारा देय उपकर, शुल्क अथवा किसी राशि के रूप में कुछ कटौतियां, वास्तविक भुगतान के आधार पर काटी जाती हैं। यह भी प्रावधान है कि यह व्यय विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से पूर्व किए गए भुगतान के मामले में ही अनुमत किया जाएगा।

4.14.1 निर्धारण अधिकारियों ने विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से पूर्व किए गए भुगतानों अथवा निर्धारित तिथि तक वास्तविक भुगतान के बिना देयताओं की अनुमति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में पांच मामलों में **90.24 लाख रुपये** के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामला नीचे तालिका सं. 4.5 में दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

तालिका सं. 4.5: देयता की गलत अनुमति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	श्री भारत एस शाह सीआईटी 2, मुम्बई	2001-02	संवीक्षा मार्च 2004	लाभ तथा हानि लेखा को डेबिट किए गए बैंक ब्याज तथा प्रभार में 1.44 करोड़ रुपये की हानि भी शामिल थी जो विदेशी मुद्रा कर्ज़ पर विनिमय हानि के कारण थी। यह केवल एक सैद्धान्तिक हानि थी जिसके लिए बैंक को कोई भुगतान नहीं किया गया था। इस अनुमत कटौती की अनुमति न देने के कारण हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें 50.39 लाख रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।	50.39(पी)

(पी: संभावित कर को दर्शाता है)

अनियमित
प्रतिदाय

4.15 आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि जहां निर्धारण, अपील, संशोधन अथवा अधिनियम की अन्य कार्यवाहियों के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप, निर्धारिती को कोई प्रतिदाय देय हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी प्रतिदाय को स्वीकृत कर सकता है अथवा किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की बकाया राशियों के प्रति प्रतिदाय का समायोजन अथवा समंजन कर सकता है।

4.15.1 लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक में **चार मामलों** में अधिक प्रतिदाय अथवा ब्याज अनुमत किया था जिसमें **84.14 लाख रूपये** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। एक मामला नीचे **तालिका सं. 4.6** में दर्शाया गया है।

(लाख रूपये में)

तालिका सं. 4.6: अनियमित प्रतिदाय					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	श्री दिनेश कुमार सिंह सीआईटी I, बंगलौर	2005-06	संवीक्षा मार्च 2006	प्रतिदाय पर ब्याज की गणना करते समय 14 महीने तक ब्याज की अधिक अवधि अपनाने में त्रुटि के कारण 68.68 लाख रूपये अधिक ब्याज अनुमत किया गया था।	68.68

4.15.2 मंत्रालय ने उपर्युक्त आभ्युक्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

सही
आंकड़े
अपनाने में
त्रुटियां

4.16 निर्धारण अधिकारियों को संवीक्षा निर्धारणों में आय का निर्धारण सही ढंग से करना होता है। लेखाओं, दावों तथा सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में जांच की जाती है। बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारियों तथा उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं कि निर्धारणों में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए।

4.16.1 लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने कुल आय की संगणना में गलत आंकड़े अपनाए थे तथा त्रुटियां की थी जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में **पांच मामलों** में कुल **57.44 लाख रूपये** के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामला नीचे **तालिका सं. 4.7** में दर्शाया गया है:

(लाख रूपये में)

तालिका 4.7: सही आंकड़ा अपनाने में त्रुटि					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	सिम्बायसिस अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र सीआईटी III, पुणे	2003-04	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारण अधिकारी ने 1.62 करोड़ रूपये के प्रति 1.12 करोड़ रूपये निर्धारित आय अपना ली, जिसके परिणामस्वरूप 22.23 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।	22.23

हानियों
का गलत
अग्रेषण
एवं
समंजन

4.17 आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि जहां "कारबार अथवा वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम हानि है तथा मूल्यहास सहित वह हानि, संगत वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजित नहीं की जा सकती, वहां समंजित न की गई हानि के बराबर राशि "कारबार अथवा वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ" के प्रति अगले निर्धारण वर्ष/वर्षों को अग्रेनीत की जाएगी।

4.17.1 "कारबार आय" शीर्ष के अन्तर्गत कोई हानि, तब तक भावी वर्षों की कारबार आय के प्रति समंजित नहीं की जाएगी जब तक हानि की विवरणी निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व दाखिल न की गई हो।

4.17.2 लेखापरीक्षा ने गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में **तीन मामलों** में कुल **56.55 लाख रुपये** के कर का कम उद्ग्रहण देखा क्योंकि निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधान सही ढंग से लागू नहीं किए थे। एक मामला नीचे तालिका सं. 4.8 में दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

तालिका सं. 4.8: हानियों का गलत अग्रेषण तथा समंजन

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	मै. ओर्गो फार्मा केमिकल्स सीआईटी 19, मुम्बई	2003-04	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारण अधिकारी ने 1.33 करोड़ रुपये की कारबार हानि के अधिक अग्रेषण की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप 48.71 लाख रुपये का संभावित कर प्रभाव हुआ।	48.71 (पी)

(पी: संभावित कर को दर्शाता है)

4.18 आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि एक निर्धारिती की कारबार आय की गणना करते समय, स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास के प्रति कटौती, निर्धारित दरों तथा अवलेखित मूल्य पर अनुमत है।

4.18.1 निर्धारण अधिकारियों ने **सात मामलों** में मूल्यहास अनुमत करने में त्रुटिया की जिनके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में कुल **34.47 लाख रुपये** के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

अधिभार
का
अनुद्ग्रहण

4.19 अधिभार सहित आयकर, संगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है।

4.19.1 निर्धारण अधिकारियों ने वित्त अधिनियम में निर्धारित दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप झारखण्ड, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में **छः मामलों** में **25.16 लाख रुपये** की कम मांग हुई।

आय का निर्धारण नहीं किया गया 4.20 आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि आयकर प्रत्येक व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक वर्ष प्रभाषित किया जाएगा। "आय" शब्द की अधिनियम में एक सम्मिलित परिभाषा है तथा उसमें पूंजीगत अभिलाभ, स्पष्ट न किया गया निवेश आदि शामिल हैं।

4.20.1 लेखापरीक्षा ने बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु में **पांच मामलों** में कुल **20.85 लाख रुपये** के कर का कम उद्ग्रहण देखा क्योंकि निर्धारण अधिकारियों ने सारी आय पर कर निर्धारित नहीं किया था।

संक्षिप्त निर्धारणों में त्रुटियां

4.21. 1 जून 1999 से आयकर अधिनियम, 1961 के संशोधन के परिणामस्वरूप संक्षिप्त विधि से किए गए निर्धारण में निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रथम द्रष्टया कोई समायोजन नहीं किया जा सकता। तथापि, संक्षिप्त निर्धारणों में निर्धारिती द्वारा उठाए गए वे लाभ जिनका वह हकदार नहीं है, वापिस लिए जा सकते हैं तथा त्रुटियों में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारियों को पृथक रूप से उपलब्ध शक्तियों के अन्तर्गत संशोधन किए जा सकते हैं।

4.21.1 आयकर निर्धारणों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में संक्षिप्त निर्धारणों के **43 मामले** देखे जिनमें **9.26 करोड़ रुपये** का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। उदाहरणार्थ **एक मामला** नीचे दिया गया है:

4.21.2 उड़ीसा, सीआईटी, कटक प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक सहकारी समिति, **बायतारानी ग्राम्या बैंक** का निर्धारण अक्टूबर 2002 में संक्षिप्त विधि से किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि कर लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र के अनुसार, अग्रानीत हानि केवल 24.67 करोड़ रुपये थी, तथापि, निर्धारिती ने 39.64 करोड़ रुपये का आंकड़ा अपनाया था तथा निवल हानि के रूप में 39.49 करोड़ रुपये अग्रानीत करते हुए, हानि के प्रति चालू वर्ष की 14.40 लाख रुपये की आय का समंजन किया था। इसके परिणामस्वरूप 14.96 करोड़ रुपये की हानि अधिक अग्रानीत की गई जिसमें 4.58 करोड़ रुपये का सम्भावित राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

4.21.3 चार मामले नीचे तालिका सं. 4.9 में दर्शाए गए हैं :

(लाख रुपये में)

तालिका सं. 4.9: संक्षिप्त निर्धारणों में त्रुटियां					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	मै.बूज एलेन एण्ड हेमिल्टन (इण्डिया) लि. डीआईटी, मुम्बई	2004-05	संक्षिप्त फरवरी 2005	1.22 करोड़ रुपये की अग्रानीत कारबार हानि का अधिक समंजन	66.30

तालिका सं. 4.9: संक्षिप्त निर्धारणों में त्रुटियां

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
2	मै. कालाहांडी अंचलिक ग्राम्या बैंक सीआईटी, सम्बलपुर	2005-06	संक्षिप्त सितम्बर 2005	निर्धारिती ने 2.04 करोड़ रुपये का प्रावधान, लाभ तथा हानि लेखा को डेबिट किया था जिसके परिणामस्वरूप समान राशि तक आय का कम निर्धारण हुआ।	62.71 (पी)
3	मै. डी-2 इन्टरनेशनल, सीआईटी XVIII, कोलकाता	2002-03	संक्षिप्त फरवरी 2003	धारा 80 एचएचसी के अन्तर्गत 60.94 लाख रुपये की कटौती का अधिक दावा।	24.71
4	मै. अम्बिका कॉटन गिन्निंग फैक्टरी सीआईटी III, बड़ौदा	2004-05	संक्षिप्त दिसम्बर 2004	निर्धारिती ने 52.74 लाख रुपये की बिक्री आय हिसाब में नहीं ली थी जिसके परिणामस्वरूप समान राशि की आय का कम निर्धारण हुआ।	20.67

4.21.4 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका सं. 4.9 की क्र.सं. 2 के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।

अधिक निर्धारण/ अति प्रभार के मामले

4.22 लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारियों के भाग पर लापरवाही के कारण परिहार्य त्रुटियां देखी जिनके परिणामस्वरूप बिहार, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में 11 मामलों में कुल 1.97 करोड़ रुपये के कर का अतिप्रभार हुआ। चार मामले नीचे तालिका सं. 4.10 में दर्शाए गए हैं:

(लाख रुपये में)

तालिका सं. 4.10 : अधिक प्रभार के मामले

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	श्री एम पी रामचन्द्रन सीआईटी I, मुम्बई	1999-2000 2000-01	संवीक्षा मार्च 2004 मार्च 2004	धारा 234बी के अन्तर्गत 43.15 लाख रुपये के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण	43.15
2	मै. पंचदीप कंसलटेंट सीआईटी IV, अहमदाबाद	2002-03	संवीक्षा सितम्बर 2005	धारा 234ए के अन्तर्गत 34.33 लाख रुपये के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण	34.35

तालिका सं. 4.10 : अधिक प्रभार के मामले

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/मास	त्रुटि का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
3	श्री एच एच महाराव भीम सिंह सीआईटी कोटा	1998-99 1999-2000	संवीक्षा मार्च 2001 मार्च 2001	धारा 234ए तथा 234बी के अन्तर्गत 33.93 लाख रूपये के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण	33.93
4	श्री केतन बी शाह सीआईटी, बड़ौदा	2000-01	संवीक्षा मार्च 2003	धारा 234बी के अन्तर्गत 22.34 लाख रूपये के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण	22.34

4.22.1 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका सं. 4.10 में सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2007)।